रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102022-239957
CG-DL-E-31102022-239957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2022/कार्तिक 9, 1944
No. 534] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2022

सं. 18/1/बीईई/डिस्कॉम/2021.—विनियमों का प्रारूप अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा संचालन हेतु रीति और अंतराल) विनियम, 2022, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए अधिसूचना सं. 18/1/बीईई/डिस्कॉम/2021, तारीख 22 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुझाव प्राप्त हुए हैं;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत: अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (थ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा संचालन हेतु रीति और अंतराल) विनियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा के संचालन हेतु रीति और अंतराल) विनियम, 2021 (जिसे इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), के विनियम (4) के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्लिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) दूसरी अनुसूची के पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट रूपविधानों के अनुसार कालिक ऊर्जा लेखा रिपोर्ट ब्यूरो और संबंधित राज्य अभिहित एजेंसी को प्रस्तुत करें और कालिक ऊर्जा लेखा की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।"

3. मूल विनियमों की पहली अनुसूची में -

(क) मद (क) के उप-मद (ii) में, "दिसंबर 2023" शब्द और अंकों के स्थान पर, "मार्च 2023" को शब्द और अंक रखे जांएगे तथा "दिसंबर 2025" शब्द और अंक के स्थान पर, "दिसंबर 2023 " शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) मद (क) के उप-मद (iii) में, "शेष क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को बाद में चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "शेष क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को मार्च, 2025 तक चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों की द्वितीय अनुसूची के अधीन -

(क) शीर्ष "[विनियम 9(1) देखें]" के स्थान पर शीर्षक "[विनियम 4(1)(ख) और 9(1) देखें]" को रखा जाएगा ;

(ख) शीर्षक के नीचे आने वाले "वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट" शब्दों के स्थान पर "वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट या कालिक लेखा रिपोर्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "ऊर्जा लेखांकन के लिए प्रपत्र", से संबंधित सारणी ख में, शीर्ष "विद्युत वितरण कंपनियों का प्रदर्शन सार " के अधीन, मद 2 के उप-मद (ग) में, "सकल तकनीक और वाणिज्यिक नुकसान "शब्दों के स्थान पर" सकल तकनीक और वाणिज्यिक नुकसान (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान की गणना के लिए प्रचलित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रीति और प्ररूप में गणना)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(घ) "फीडर-वार हानि का विवरण" से संबंधित प्ररूप के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूपों को अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क. वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) स्तर की जानकारी का विवरण

क. डीटी स्तरीय मीटरिंग की संभाग-वार स्थिति (कृपया आवश्यकता के अनुसार अधिक पंक्तियां जोड़ें)
(कृपया रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रत्येक डिवीजन के लिए डेटा भरें)

क्षेत्र का नाम	मंडल का नाम	प्रभाग का नाम	फीडर का नाम	फीडर पर डीटी की कुल संख्या	बिना मीटर वाले डीटी की संख्या	पैमाइश किए गए डीटी की संख्या			कार्यात्मक मीटर के साथ डीटी की संख्या	
						एएमआर मीटर (संचारी)	एएमआई मीटर (संचारी)	गैर-एएमआर / एएमआई मीटर्ड (गैर संचारी)	संचार (7 और 8 में से कुल संख्या)	गैर-संचार (कुल संख्या 7,8 और 9 में से)
1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11

ख. डीटी-वार हानियों का विवरण (कृपया आवश्यकता के अनुसार अधिक पंक्तियाँ जोड़ें)

सब-स्टेशन आईडी	फीडर आईडी	फीडर का नाम	डीटी आईडी नंबर	डीटी क्षमता (केवीए)	डीटी का प्रमुख उपभोक्ता प्रकार (घरेलू/औद्योगिक/कृषि/मिश्रित)	मीटरिंग का प्रकार (मीटर रहित/एएमआई/एएमआर/अन्य)	मीटर की स्थिति (कार्यशील/गैर-कार्यशील)	डेटा का% स्वचालित रूप से प्राप्त हुआ (यदि एएमआई/एएमआर)	जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या	इनपुट एनर्जी (एमयू)	बिल की गई ऊर्जा (एमयू)	ऊर्जा की हानि (एमयू)	% नुकसान
		(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)= [(6)/(4)]*100

ख. उपभोक्ता श्रेणी-वार सब्सिडी बिल/प्राप्त/अवधि के लिए देय का विवरण: ……… से……..

उपभोक्ता श्रेणी (प्रत्येक रियायती उपभोक्ता श्रेणी के लिए अलग)	बिल की गई ऊर्जा			सब्सिडी वाली बिल ऊर्जा			राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सब्सिडी की लागू दर।		राज्य सरकार से देय सब्सिडी।			राज्य सरकार से वास्तविक बिल/दावा की गई सब्सिडी। (कॉलम 12 के अनुसार)	राज्य सरकार से मिली सब्सिडी (कॉलम.13 के अनुसार)	राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली शेष सब्सिडी
	मीटर किए गए	बिनामीटर के*	कुल	मीटरिंग का प्रकार (कॉलम 2 में से)	मीटर रहित *(कॉलम.3 में से)	कुल	मीटर सहित ऊर्जा **	मीटर रहित ऊर्जा**	मीटर सहित ऊर्जा	मीटर रहित ऊर्जा	कुल			
	(किलोवाट प्रति घंटा)			(किलोवाट प्रति घंटा)			(रुपए /किलोवाट में)		(करोड़ रुपए में)			(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=5X8	11=6x9	12=10+11	13	14	15= 13-14
आवासीय														
कृषि														
वाणिज्यिक /औद्योगिक - एलटी														
वाणिज्यिक /औद्योगिक - एचटी														
अन्य (निर्दिष्ट														

करें)															
कुल															

*संबंधित सरकारी आदेशों के साथ-साथ टिप्पण में प्रदान की जाने वाली ऊर्जा के निर्धारण का आधार

**सुसंगत सरकारी आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./362/2022-23]

टिप्पण:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्या 18/1/बीईई/डिस्कॉम/2021, द्वारा 7 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2022

No. 18/1/BEE/DISCOM/202.—Whereas the draft of regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) (Amendment) Regulations, 2022, were published vide notification No. 18/1/BEE/DISCOM/2021, dated the 22nd June, 2022 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the Notification in the Official Gazette.

And Whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And Whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 58, read with clause (q) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) (Amendment) Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the principal regulations), for clause (b) of sub-regulation (1) of regulation (4), the following clause shall be substituted, namely:--

   "(b) Submit the periodic energy accounting report as per specified formats in Paragraph (b) of the Second Schedule, to the Bureau and respective State Designated Agency and also made available on the website of electricity distribution company within forty-five days from the date of the periodic energy accounting."

3. In the First Schedule of the principal regulations.-

   (a) in sub-item (ii) of item (A), for word and figure "December 2023", the word and figure "March 2023" shall be substituted and for word and figure "December 2025", the word and figure "December 2023" shall be substituted;

   (b) in sub-item (iii) of item (A), for words "The balance areas and consumers may be taken up in a phased manner subsequently" the words and figure "The balance areas and consumers may be taken up in a phased manner by March 2025" shall be substituted.

4. Under the Second Schedule of the principal regulations.-

   (a) for the heading "[see regulations 9(1)]", the heading "[see regulations 4(1)(b) and 9(1)]" shall be substituted.;

(b) for the words "ANNUAL ENERGY AUDIT REPORT", occurring below the heading, the words "Annual Energy Audit Report or Periodic Energy Accounting Report" shall be substituted;

(c) in table 2 relating to "Form for Energy Accounting", under the heading "Performance summary of Electricity Distribution Company", in sub-item (c) of item 2, for the words "Aggregate Technical & Commercial Loss", the words "Aggregate Technical and Commercial Loss (Calculated in the manner and form as specified in the prevailing Guidelines for Computation of Aggregate Technical and Commercial losses published by the Central Electricity Authority)" shall be substituted;

(d) after form relating to "Details of Feeder-wise Losses", the following forms shall be inserted, namely:-

"A. Details of Distribution Transformer (DT) Level information

a. Division-wise status of DT level metering (please add more rows as per requirement)
(Please fill in the data for each division during the reporting period)

Zone name	Circle name	Division name	Feeder name	Total no of DT on feeder	No of unmetered DTs	No of metered DTs			No. of DTs with functional meters	
						AMR metered (communi-cable)	AMI metered (communicable)	Non-AMR / AMI metered (non-communicable)	Communicating (Total No out of 7 and 8)	Non-communicating (Total No. out of 7,8 and 9)
1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11

b. Details of DT-wise losses (please add more rows as per requirement)

Sub-station ID	Feeder ID	Feeder Name	DT Id no.	DT Capacity (kVA)	Predominant consumer type of DT (Domestic/Industrial/Agriculture/Mixed)	Type of metering (Unmetered/AMI/AMR /Other)	Status of meter (functional/non-functional)	% of data received automatically (if AMI/AMR)	No. of connected consumers	Input Energy (MU)	Billed Energy (MU)	Loss of Energy (MU)	% Loss
		(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)= [(6)/(4)]*100

B. Details of Consumer Category-wise Subsidy Billed/Received/Due for period: from …….to……..

Consumer Category (Separate for each subsidized consumer category)	Billed Energy	Subsidized Billed Energy	Applicable rate of Subsidy as notified by State govt.	Subsidy Due from State Govt.	Subsidy Actually Billed / claimed from State Govt. (As against col.12)	Subsidy Received from State Govt. (As against col.13)	Balance Subsidy yet to be Received from State Govt.

	Metered	Un-metered*	Total	Metered (out of col.2)	Un-metered*(out of col.3)	Total	Metered Energy**	Un-metered Energy**	Metered Energy	Un-metered Energy	Total			
	(in kWh)			(in kWh)			(in Rs/kWh)		(in Rs. Cr.)			(in Rs. Cr.)	(in Rs. Cr.)	(in Rs. Cr.)
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=5X8	11=6x9	12=10+11	13	14	15=13-14
Residential														
Agricultural														
Commercial/Industrial – LT														
Commercial/Industrial - HT														
Other (specify)														
Total														

*Basis of assessment of energy to be provided in the notes along with relevant Government Orders
**Provide copy of relevant Government Orders"

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./362/2022-23]

Note: - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 18/1/BEE/DISCOM/2021, published on 7th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.31 22:33:18 +05'30'